सफाई ठेके के सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हा कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति , दिल्ली रोड, मेरठ के नवीन मण्डी स्थल के खाद्यान, फल, सब्जी मण्डी एवं अतिरिक्त फल-सब्डी मण्डी लोहियानगर परिसरों की सफाई कार्य समिति व्दारा निर्धारित की गयी शर्तो एवं अनुबंध के आधार पर दिनांक 31.03.2026 तक ठेका पध्दति पर कराना है, ई टैण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 07.11.2025 की (सायं 05 बजे) तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ सफाई ठेके हेतु निर्धारित प्रतिभूति खाद्यान, फल एवं सब्जी परिसर के लिए रू० 1,00,000/-, 50,000/-, 50,000/- एवं अतिरिक्ति लोहियानगर फल-सब्जी परिसर के लिए रू० 50,000/- का बैक ड्राफ्ट जो कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ के नाम देय हो, निविदा फार्म के साथ दिनांक 07.11.2025 की सायं 05.00 बजे तक मण्डी समिति मेरठ कार्यालय में मूलरूप में जमा कराते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म का मूल्य 250/- एवं उस पर देय जी०एस०टी० 18% रू० 45/- कुल धनराशि रू०295/- कार्यालय में जमा कर निविदा फार्म प्राप्त कर निविदा भरी जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 07.11.2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे के बाद खोली जायेगी। ठेके से संवधित विस्तृत नियम एवं शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी एवं पढी जा सकती है।

सचिव　　　　　सभापति

कृषि उत्दापन मण्डी समिति, मेरठ।

कार्यालय- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, नवीन मण्डी स्थल, दिल्ली रोड़, मेरठ।

पत्रांकः कृ०उ०म०स०/2025- 821　　　　**दिनांकः** 30.10.2025

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु-

1. कार्यालय नोटिस वोर्ड, नवीन मण्डी स्थल, दिल्ली रोड एवं अतिरिक्त फल सब्जी मण्डी स्थल, लोहियानगर, मेरठ।
2. नगर मजिस्ट्रेट/नगर पालिका कार्यालय, मेरठ पर चस्पा हेतु।
3. सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा०/विप०), मण्डी परिषद, मेरठ।
4. उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, मेरठ।
5. विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से कि कृपया उक्त का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस में सरकारी दरों पर प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित अपना विल भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

29.10.2025

सचिव

कृषि उत्दापन मण्डी समिति

मेरठ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मेरठ के नवीन मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थल, लोहियानगर की सफाई के लिए नियम एवं शर्तें।

1. सफाई ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2025–26 में 07 माह (सितम्बर 2025 से मार्च 2026 तक) के लिये होगी।
2. सफाई ठेकेदार का एक सफाई कर्मचारी कार्यालय भवन में नियमित रूप से सुबह 8.00 बजे तक सफाई कार्य करना होगा।
3. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा तकनीकी बिड के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(क) निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने सम्बन्धी रू० 250+18 प्रतिशत जी०एस०टी० रू० 45= रू० 295 की रोकड़ रसीद अथवा रू० 295 मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जो ए०पी०एम०सी० मेरठ के पक्ष में देय हो।

(ख) निविदादाता/ठेकेदार द्वारा जमानत राशि के रूप में खाद्यान्न परिसर रू० 1,00,000/– फल एवं सब्जी परिसर रू० 50,000/– एवं लोहियानगर फल–सब्जी परिसर रू० 50,000/– का एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०, जो निविदादाता/ठेकेदार के नाम से बना हो तथा सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मेरठ के पदनाम से बन्धक होना चाहिए। (जमानत राशि नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी)

(ग) निविदादाता/ठेकेदार का चरित्र प्रमाण–पत्र। (जो जिलाधिकारी से जारी हो और 03 वर्ष से अधिक पुराना न हो)।

(घ) निविदादाता/ठेकेदार के कारोबार का विगत तीन निरन्तर वर्षों के टर्नओवर का प्रमाण–पत्र। (तीनों वर्ष के टर्नओवर धनराशि का योग इस टेण्डर के लिए आगणित वार्षिक धनराशि रू० 5,00,000/– से कम नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति मे विगत तीन वर्षों के टर्नओवर का योग इस टेण्डर की वार्षिक आगणित धनराशि रू० 5,00,000/– से 50 प्रतिशत तक कम हो तो उस पर विचार किया जा सकेगा। उसकी जमानत धनराशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी। परन्तु विगत तीन वर्षो के टर्नओवर का योग टेण्डर के लिये वार्षिक धनराशि रू० 5,00,000/– के आधे से कम है तो टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा। जमानत धनराशि की वृद्धि अगले 15 दिवस में जमा की जायेगी।

(ङ) निविदादाता/ठेकेदार का श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वः प्रमाणित छायाप्रति ।

(च) निविदादाता/ठेकेदार का आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)/जी०एस०टी० नम्बर की स्वः प्रमाणित छायाप्रति।

(छ) निविदादाता/ठेकेदार का मूलनिवास/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छायाप्रति।

(ज) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त कम से कम रू० 1.00 लाख का हैसियत प्रमाण–पत्र

(झ) निविदादाता/ठेकेदार द्वारा रु० 100/– मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, जिसमें अन्य आवश्यक तथ्यों के साथ–साथ मुख्यतयः निम्न तथ्य उल्लेखित हों देना होगा:–

1–निविदादाता व्यक्ति/फर्म को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्था/केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग/राज्य सरकार/राज्य सरकार के स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में से किसी के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

2–निविदादाता व्यक्ति/फर्म न्यूनतम मजदूरी भुगतान सहित सभी संगत विधिक प्राविधानों का पालन करेगी।

3–निविदादाता व्यक्ति/फर्म संगत विधिनियम/स्थानीय निकायों के निर्देश आदि के दृष्टिगत यथावश्यक पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेगी।

4–निविदादाता व्यक्ति/फर्म सफाई कार्य से संबन्धित उपकरण अपने स्वामित्व या उन्हें लीज पर लेकर सफाई कार्य सुनिश्चित करेगी।

5–यदि एक से अधिक व्यक्तियों की वित्तीय बिड में न्यून धनराशि समान होती है तो टेण्डर लक्की ड्रा द्वारा स्वीकृत किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. मानक के अनुरूप गुणवत्ता बनाये रखने के दृष्टिगत आगणित धनराशि से 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदा टेण्डर समिति/स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5. ठेकेदार को कम से कम 01 सफाईकर्मी एवं 01 ट्रैक्टर ट्राली/ भैसा बुग्गी चालक सहित तथा पर्याप्त मात्रा में फावड़े, चारा काटने वाली मशीन आदि प्रतिदिन लगाकर सफाई कार्य करना होगा। मजदूरों में कोई भी बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए। साथ ही सफाई व्यवस्था में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

6. सफाई कर्मचारियों को समान वर्दी में उपस्थित रहकर ही कार्य करना होगा जो उन्हें ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी। सफाई कर्मियों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार स्वयं ठेकेदार को करने होंगे। यदि कोई सफाईकर्मी किसी गैरकानूनी क्रिया कलाप में लिप्त पाया जाता है या उसके द्वारा अभद्रता की जाती है या किसी सामान की चोरी की शंका होती है तो ऐसी स्थिति में मण्डी समिति को अधिकार रहेगा कि ऐसे सफाई कर्मी को तत्काल परिसर से हटा दें एवं इस प्रकार मण्डी समिति को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी। ऐसी राशि ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती की जा सकेगी।

7. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता द्वारा नियमानुसार देय मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध एक सप्ताह में करना होगा तथा नियत तिथि से कार्य प्रारम्भ करना होगा। अनुबन्ध का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। नियत तिथि से कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में शर्त संख्या 19 (क) के अनुसार प्रतिदिन कटौती की कार्यवाही की जायेगी।

8. निविदा का कार्य किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरण नहीं होगा तथा ठेके की स्वीकृत राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि/पारिश्रमिक का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा।

9. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार मण्डी समिति का होगा।

10. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/स्वीकार कर्ता का होगा।

11. ठेकेदार/निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि 01.09.2025 से दो दिन पूर्व दिनांक 30.08.2025 कार्यालय समय में अर्थात सायं 4.00 बजे तक एफ०डी०आर० मण्डी समिति कार्यालय में प्राप्त कराया जाना होगा। उसके उपरान्त एफ०डी०आर० प्राप्त नहीं किये जायेंगे। यदि तकनीकि बिड के आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख गलत अथवा अपूर्ण पाये जाते है तो उसकी दरें (वित्तीय बिड) नहीं खोली जायेगी।

12. एफ०डी०आर० सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मेरठ के पदनाम से बन्धक होना चाहिये।

<u>निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य–</u>

13. ठेकेदार को आन्तरिक सडकों, खुलेस्थान, नीलामी चबूतरों तथा व्यापारिक दुकानों के सामने के फड़ों, कार्यालय, चेकपोस्ट, अन्य निर्माण, आवासीय भवन तथा क्रय–विक्रय में प्रयुक्त समस्त स्थान एवं मण्डी में खाली पड़े उपेक्षित स्थानों की भी दैनिक रूप से सफाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त नाली/नालों की भी दैनिक सफाई करनी होगी और एकत्रित कूडे को मण्डी स्थल से बाहर उपयुक्त स्थान पर प्रतिदिन निस्तारित करना होगा।

14. मण्डी स्थल से सडे–गले पदार्थो, मृत जानवरों का निस्तारण मण्डी स्थल के बाहर प्रतिदिन करना होगा।

15. मण्डी स्थल में वांछित स्थानों पर कीटनाशक दवाओं एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव करना होगा। विशेष अवसरों एवं किसी अधिकारी के निरीक्षण के समय चूने आदि का छिड़काव कराना होगा। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई कर्मियों की संख्या के अन्तर्गत ही आवश्यकतानुसार एक कर्मचारी ऐसा भी उपलब्ध कराया जायेगा जो मण्डी में लगे वृक्षों आदि पर सामान्य प्रकार की रंगाई पुताई कर सके। इस कार्य के लिये उपकरण एवं सामान आदि समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

16. मण्डी परिसर को समस्त भवनों की छतों एवं डाउन पाईपों की सफाई दीवार (माह अगस्त एवं जनवरी में) अनिवार्य रूप से करनी होगी। यह कार्य कराये जाने पर ही माह अगस्त एवं जनवरी के बिलों का भुगतान किया जायेगा।

17. मण्डी स्थल में निर्मित शौचालयों/मूत्रालयों आदि की भी सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन करनी होगी।

18. मण्डी स्थल से जल निकास सम्बन्धी नाली/नालों की सफाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा।

19. ठेकेदार को एक उपस्थिति पंजिका मण्डी समिति कार्यालय में रखनी होगी, जिसमें सफाई कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगें, जिसकी जॉच सचिव मण्डी समिति द्वारा अधिकृत कार्मिक द्वारा प्रतिदिन तथा सचिव मण्डी समिति द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

20. मण्डी सचिव के निर्देशानुसार मण्डी परिसर के अन्य स्थानों की सफाई का कार्य भी किया जायेगा।

21. कार्य संतोषजनक न होने एवं निविदा की शर्तो का उल्लघंन किये जाने की दशा में भुगतान से कटौती करके जमानत राशि मण्डी समिति के पक्ष में जब्त करने तथा ठेका निरस्त करने का अधिकार मण्डी समिति को होगा। मण्डी स्थल में असंतोषजनक रूप से न होने की दशा में जमानत राशि/मासिक धनराशि से निम्नलिखित प्रकार से कटौती की जायेगी।

(क) निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर, कम मजदूरों की दैनिक मजदूरी का दोगुना धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ख) मुख्य व्यापार स्थल एवं सड़कों पर झाडू लगाना व कूड़ा निस्तारण नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ग) सडकों व दुकानों एवं भवनों के मध्य के खाली स्थानों पर झाडू लगाना व कुडा निस्तारण नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(घ) शौचालयों एवं नालियों की सफाई नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ङ) मण्डी में रिक्त पड़ी भूमि की सफाई नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(च) बाऊण्ड्रीवाल के आस-पास के क्षेत्र की सफाई नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

उपरोक्त में से प्रत्येक कार्य प्रतिदिन किये गये अथवा नहीं इस आशय की एक सफाई पंजिका समिति कार्यालय में अनुरक्षित होगी। प्रत्येक कार्य के लिये सचिव द्वारा समिति कार्मिकों की जिम्मेदारी नियत की जायेगी इनका यह दायित्व होगा कि उक्त में से प्रतिदिन कौनसा कार्य किया गया एवं कौनसा कार्य नहीं किया गया इस स्थिति का उल्लेख प्रतिदिन सफाई पंजिका में अंकित किया जाये।

तदनुसार ही सफाई ठेकेदार के बिल का भुगतान/कटौती की जायेगी। गलत रिपोर्ट अंकित किये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक की जिम्मेवारी नियत की जायेगी।

<u>भुगतान-</u>

22. सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए व्यापारियों और मण्डी कर्मचारियों की एक समिति (सफाई निगरानी समिति) गठित की जायेगी जो सफाई व्यवस्था का नियमित रूप से निरीक्षण करेगी और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर लिखित सूचना संबन्धित मण्डी समिति को देगी। सफाई ठेके का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा जिसमें सफाई निगरानी समिति की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जायेगा।

23. निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर सचिव द्वारा ठेकेदार के बिल मजदूरी की कटौती करते हुए उसे नोटिस दिया जायेगा तथा निरन्तर एक सप्ताह तक कम मजदूर लगाये जाने की स्थिति में कारण बताओ नोटिस देते हुए जमानत धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार समिति को होगा। इसके अतिरिक्त सफाई संतोषजनक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

24. नियमानुसार विधिक प्राविधानों के अंतर्गत आयकर की कटौती ठेकेदार के बिल से की जाएगी तथा अन्य ऐसे कर, जी०एस०टी०, फीस या विधिक प्राविधानों के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशि आदि जो निविदादाता द्वारा जमा की जानी हो, उन्हें निविदादाता द्वारा जमा किया जाएगा।

25. ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/सुपरवाईजर को बताये जाने पर यदि सफाई का कोई कार्य नहीं कराया जाता है या कोई सफाई उपकरण, ब्लीचिंग पाऊडर, चूना या सफाई कर्मियों की वर्दी आदि कोई समान उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मण्डी समिति द्वारा स्वयं व्यय कर उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जा सकेगी।

26. ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रत्येक दिन सुबह एवं शाम को दर्ज कराई जायेगी, जिसकी जाँच समय-समय पर मण्डी सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्मिक द्वारा की जायेगी। तद् नुसार ठेकेदार/फर्म को भुगतान किया जायेगा।

27. सभी सफाई कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान उनके बचत खातों में आनलाईन ठेकेदार द्वारा स्थानान्तरित किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करनें के उपरान्त ही ठेकेदार को अगले माह का सफाई का भुगतान किया जायेगा।

28. सभी सफाई कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई आदि की कटौतियों का साक्ष्य ठेकेदार द्वारा समिति कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

29. ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये सफाई कर्मियों को "न्यूनतम मजदूरी भुगतान सहित सभी संगत विधिक प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

30. सफाई कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार को आर्गेनिक, इन-आर्गेनिक एवं पॉलीथीन/प्लास्टिक तीनों प्रकार के अपशिष्टों को पृथक-पृथक रूप से से एकत्रित करने के साथ-साथ आर्गेनिक अपशिष्ट को बायो कम्पोस्टिंग के प्रयोग के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट/म्यूनिसिपल अपशिष्ट जनपद के प्रोसेसिंग प्लाण्ट या स्थानीय निकाय अथवा जिला पंचायत द्वारा चिन्हित डम्पिंग ग्राउण्ड पर नियमानुसार ले जाकर निस्तारण की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं के वाहन आदि से करायी जाएगी।

26.08.2025

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
मेरठ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kuldeep Kumar Saini
Date: 2026.04.30 14:47:31 IST
Location: Uttar Pradesh-UP